ऋणों की संख्या से संबंधित राज्यवार स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गयी है :–

राज्य का नाम	खातों की संख्या	रकम (लाख रुपए)
मध्य प्रदेश	850	181.06
उत्तर प्रदेश	10	2.50
राजस्थान	8	1.19
गुजरात	12	1.70
महाराष्ट्र	20	5.00

बैंक ने यह भी बताया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, प्रधान कार्यालय में शाखा-वार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि आवेदकों की ऋण, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर तथा जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बल द्वारा रूपांतर की गयी सूची में से मंजूर किये गये थे।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

822. [*Transferred to the 6th May, 1988*].

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये दहेज से संबंधित मामले

823. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दहेज के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने में सफल रही है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों का उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गये हैं :–

वर्ष	दहेज के कारण हुई मौतें	भा०द० सं० की धारा 406 के अधीन	भा०द० सं० की धारा 498–क के अधीन	दहेज निषेध अधिनियम के अधीन
1985	43	54	169	10
1986	64	95	207	10
1987	79	144	297	12

(ख) और (ग) नये कानूनों के प्रवर्तन के कारण दहेज के कारण हुई मौतों के और मामलों को दर्ज किया जा रहा है जिन्हें पहले आत्महत्या के रूप में दर्ज किया जाता था। इसलिए आंकड़ों में वृद्धि का रुख प्रतीत होता है। फिर भी, इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। दहेज अपराधों से निपटने के लिए सम्बद्ध कानूनों को और भी सख्त बनाया गया है।

Water Sharing Agreement with Bangladesh

824. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned 'India delaying water pact with Bangladesh' as reported in the 'Indian Post' of 18th April 1988;

(b) if so, whether it is a fact that the existing water sharing agreement is going to expire on 31st May, this year;

(c) whether the Bangladesh Government has sent notes and proposed meetings of the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission before the expiry of the present Memorandum of Understanding; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Indo-Bangladesh Memorandum of Understanding of November, 1985 *inter alia* provides for sharing of the Ganga Waters at Farakka during the three dry seasons, i. e., 1st January to 31st May of the years 1986, 1987 and 1988. The question of further sharing arrangements would arise only from 1st January, 1989 onwards.

825. [*Transferred to the 9th May*, 1988.]

गंगा कार्य योजना की प्रगति

826. **श्री राम नरेश यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसके मुख्य-मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने और उसके निष्कर्षों को सभा पटल पर रखने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) :

(क) 31 मार्च, 1988 तक 216.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 205 स्कीमें मंजूर की गई हैं। सभी संस्वीकृत स्कीमों में कार्य प्रगति पर है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गंगा कार्य योजना का कुल परिव्यय 240 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 1988 तक 75.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अभी तक 4.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 15 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) गंगा कार्य योजना "जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड" द्वारा प्रदूषण स्रोतों पर पहले किए गए व्यापक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार नदी के किनारे बसे श्रेणी-i के नगरों के सारे अनुपचारित मल जल की नदी में प्रवाहित होना प्रदूषण का मुख्य कारण है। दिसंबर, 1984 में पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार की गई गंगा कार्य योजना में व्यवस्था की गई है कि नदी में प्रतिदिन प्रवाहित होने वाले 90 करोड़ लीटर अनुपचारित मलजल का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन करके इस प्रदूषण को रोका जाए। यद्यपि कार्य योजना में सम्मिलित स्कीमों का केन्द्र-बिन्दु इसी प्रदूषण का निवारण है परन्तु नदी के जल की गुणवत्ता की व्यवस्थित निगरानी का एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया है जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ नदी जल में भारी धातुओं और अवशिष्ट कीटनाशकों की निगरानी भी कर रहा है। जल गुणवत्ता के प्रबोधन के इस कार्यक्रम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से गंगा कार्य योजना की स्कीमों के जल गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।